

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उम्प्रो शासन।

*अनुमूलन
19/08/16
03:30PM*

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उम्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊ : दिनांक: 17 अगस्त, 2016
विषय: मानव चालित रिक्षों चालकों को मोटर/बैटरी चालित ई-रिक्षा मुफ्त प्रदान किये जाने की योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची की जांच।

*16389/cls
19/08/16*

महोदय,

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उम्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित रिक्षा योजना के अन्तर्गत ई-रिक्षा वितरण हेतु तैयार की गयी लाभार्थियों की पात्रता सूची में अनियमितता बरते जाने की शिकायतें कतिपय जनपदों से प्राप्त हुई हैं। रिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या-35/69-1-13-14(31)/2012टीसी, दिनांक 24.01.2013 में लाभार्थियों की पात्रता शर्त निर्धारित की गयी हैं। उक्त पात्रता शर्तों के अनुसार पात्रता सूची तैयार न किये जाने की शिकायतों के दृष्टिगत शासन द्वारा पात्रता रूपी की जांच मण्डलायुक्त से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिक्षा योजना के अन्तर्गत नगर निकायों के पात्र लाभार्थियों की तैयार की गयी सूचियों की प्रमाणिकता की जांच कृपया अपने स्तर से ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों की समिति गठित कर कराने का कष्ट करें, जो योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार किये जाने की प्रक्रिया में किसी भी कठोरता न रहे हों। कृपया अपने मण्डल के अधीन सभी जनपदों में जहाँ ई-रिक्षा निर्देशक तैयार की गयी लाभार्थियों की सूची की जांच 10 दिन में सम्पादित कराकर जांच आख्या निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा सम्बन्धित जांच आख्याओं का परीक्षण कर अपनी संस्तुति शारान को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

19/08/16

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या-1639 / 69-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आशय से कि वह जांच से सम्बन्धित सभी अभिलेख मण्डलायुक्तों को अपने स्तर से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि समस्त नगर निकायों द्वारा तैयार सूची एवं उससे सम्बन्धित अन्य अभिलेख जांच हेतु मण्डलायुक्तों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
LPSH,
(एच०पी० सिंह)
विशेष राज्य।